न्यामूर्ति प्रमोद कोहली के समक्ष
सुभाष चंद हीरा और अन्य-याचिकाकर्ता
बनाम
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़-प्रतिवादी
सी. डब्ल्यू. पी. सं. 1994 का 9806
20 अप्रैल, 2011

भारत का संविधान, 1950- अनुछेद-309-उच्च न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा की शर्त) नियम, 1973- नियम 19- याचिकाकर्ता पुनर्स्थापनाकर्ता के रूप में काम करने वाले-क्लर्क के रूप में नियुक्ति या तो सीधी भर्ती (90 प्रतिशत) और पर्यवेक्षकों/पुनर्स्थापनाकर्ताओं (10 प्रतिशत) के बीच से पदोन्नति द्वारा होती है-याचिकाकर्ता टाइप टेस्ट के लिए उपस्थित हुए और उन्हें 5 से 8 क्रमांक पर रखा गया-याचिकाकर्ताओं ने पदोन्नति के लिए जब भी कोई रिक्ति होती है पैनल में अपना नाम रखने के लिए अभ्यावेदन किया उस समय ऐसा कोई पैनल नहीं था-नियम 19 को बाद में संशोधित किया गया-याचिकाकर्ताओं ने दावा किया की अतीतकाल में जब पद्दोनत्ति कोटा के लिए रिक्तियां उपलब्ध थी उन्हे पद्दोनत्ति दी जाये - अभिनिर्धारित, **केवल योग्यता ही पैनल में शामिल उम्मीदवार**

को भविष्य में रिक्ति पर कब्जा करने के लिए अधिकार नही देता -हालांकि, वर्तमान मामले में, प्रतिष्ठान शाखा कैलेंडर वर्ष 1993 के दौरान उपलब्ध पदोन्नति कोटे से क्लर्कों की रिक्तियों का पता लगाएगी और रिक्तियां चार से अधिक थीं, याचिकाकर्ताओं को उनकी योग्यता के आधार पर अनुमानित पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा।

अभिनिर्धारित किया कि सामान्य परिस्थितियों में याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था कि बी. एस. वाडेरा और अन्य बनाम यू. ओ. आई.

और अन्य एस. एल. आर. 6 के मामले में एक संविधान पीठः1969 ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियम का पूर्वव्यापी प्रभाव तभी हो सकता है जब नियम ऐसा निर्धारित करता है।वर्तमान मामले में नियमों में संशोधन पूर्वव्यापी संचालन के लिए प्रावधान नहीं करता है।वाई. वी. रंगैया बनाम जे. श्रीनिवास राव; 1983 (3) एस. सी. सी. 285 में दिया गया निर्णय कानून का सच्चा प्रतिबिंब है।याचिकाकर्ताओं की दलीले ख़ारिज किये जाने योग्य है क्योंकि नियम 19 (4) का संशोधन तब किया गया था जब चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी और क्योंकि पैनल को जीवित रखते हुए पेश किया गया संशोधन न केवल प्रक्रियात्मक है बल्कि व्यक्ति के मूल अधिकार को भी प्रभावित करता है।केवल योग्यता भविष्य में एक रिक्ति पर कब्जा करने के लिए पैनल में शामिल उम्मीदवार में एक निहित अधिकार पैदा करती है जब तक कि पैनल भविष्य के लिए कानूनी रूप से जीवित न रहे।इस प्रकार याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज कर दिया जाता है।

(पैरा 9)

आगे अभिनिर्धारित किया हालांकि, प्रतिवादीओं के जवाब से संकेत मिलता है कि रिक्तियां समय-समय पर उपलब्ध थीं।आर. टी. आई. अधिनियम के तहत उपलब्ध कराई गई जानकारी से, यदि प्रामाणिक माना जाए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 1993 में हालांकि तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है चार और रिक्तियां उपलब्ध थीं, यह माना जा सकता है कि सभी या कुछ रिक्तियां 6.11.1993 से पहले उपलब्ध थीं।उस स्थिति में, चयन पैनल में अगले याचिकाकर्ताओं कि नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता था।इस निर्देश के साथ याचिका का निपटारा किया गया कि स्थापना अनुभाग कैलेंडर वर्ष 1993 के दौरान उपलब्ध पदोन्नति कोटे से क्लर्कों की रिक्तियों पर काम करेगा और रिक्तियां चार से अधिक थीं, याचिकाकर्ताओं को उनकी योग्यता के आधार पर अनुमानित पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा।यदि याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति का हकदार पाया जाता है, तो उन्हें उक्त तिथि से प्रभावी रूप से पदोन्नत माना जाएगा, हालांकि केवल वैचारिक रूप से, बिना किसी मौद्रिक लाभ के।ऐसे याचिकाकर्ताओं का वेतन आदि पदोन्नति आदि का काल्पनिक लाभ देकर तय किया जाएगा।

सुभाष चंद हीरा और अन्य बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ 709
(न्यामूर्ति प्रमोद कोहली)

संगीता ढांडा, अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं की ओर से

संजीव शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता और राजदीप सिंह चीमा उत्तरदाताओं के लिए

न्यामूर्ति प्रमोद कोहली।

(1) याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के कर्मचारी हैं।इस याचिका को दायर करने के समय, वे पुनर्स्थापनाकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, हालाँकि, इस याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान, वे वर्ष 2008 में क्लर्क के रूप में पदोन्नत हुए।इस याचिका को दायर करने के समय, याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई प्रार्थना उनकी पदोन्नति के लिए थी, जो 6 नवंबर, 1993 को टाइप टेस्ट में उत्तीर्ण होने के आधार पर उन रिक्तियों के लिए थी जो उसके बाद उपलब्ध हो सकती हैं।चूंकि याचिकाकर्ताओं को इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान पदोन्नत किया गया था, इसलिए एक संशोधित रिट याचिका दायर की गई है जिसमें 6 नवंबर, 1993 को टाइप टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने वाले क्लर्क विचाराधीनता पर उनकी पूर्वव्यापी पदोन्नति के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।इस याचिका को दायर करने की ओर ले जाने वाले तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर संक्षेप में ध्यान देना उपयोगी हो सकता है।

(2) याचिकाकर्ता संख्या 1 से 3 मैट्रिक हैं जबकि याचिकाकर्ता संख्या 4 स्नातक है।रिस्टोरर के पद से अगली पदोन्नति क्लर्क के पद पर है।पदोन्नति/भर्ती उच्च न्यायालय प्रतिष्ठान (नियुक्ति और सेवा की शर्त) नियम 1973 (इसके बाद "1973 नियम"के रूप में संदर्भित) के नियम 19 द्वारा शासित होती है।क्लर्कों की नियुक्ति के लिए दो स्रोत निर्धारित किए गए हैं-प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा 90 प्रतिशत और पर्यवेक्षकों/पुनर्स्थापनाकर्ताओं के बीच से 10 प्रतिशत पदोन्नति।नियम 19 का प्रासंगिक उद्धरण यहाँ नीचे दिया गया है:-

"19. क्लर्क-(1) क्लर्क के पद पर नियुक्ति या तो सीधी भर्ती द्वारा या उच्च न्यायालय प्रतिष्ठान से पदोन्नति द्वारा इसके तहत निर्धारित प्रावधान के अनुसार की जाएगी:-

(2) क्लर्कों के पदों पर सीधी भर्ती को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा:-

XXX XXX XXX

(v) एक प्रतियोगी परीक्षा के परिणामस्वरूप योग्यता के आदेश में सफल उम्मीदवारों की एक चयनित सूची तैयार की जाएगी।

क्लर्क के पदों पर नियुक्ति जब रिक्तियों हो उस सूची से की जाएगी जो परीक्षा की तारीख से दो साल की अवधि के लिए लागू रहेगी और उसके बाद समाप्त हो जाएगी।

XXX XXX XXX

(4) कैलेंडर वर्ष के दौरान क्लर्कों की 10% रिक्तिया निम्नलिखित योग्यता/अनुभव रखने वाले इस न्यायालय में काम करने वाले पर्यवेक्षकों/पुनर्स्थापनाकर्ताओं में से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है:-

(i) इस न्यायालय की स्थापना में पर्यवेक्षक/पुनर्स्थापनाकर्ता के रूप में दो साल की सेवा के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

या

(ii) इस न्यायालय की स्थापना में पर्यवेक्षक/पुनर्स्थापनाकर्ता के रूप में पांच साल की सेवा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड या उसके समकक्ष से मैट्रिक।बशर्ते कि पात्र पर्यवेक्षकों/पुनर्स्थापनाकर्ताओं को लिपिक के रूप में पदोन्नति से पहले 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी में टाइप-लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(iii) अधिसूचना No.258 दिनांकित 27.5.1992, निम्नलिखित प्रावधान को मौजूदा नियम 19 (4) (ii) के नीचे तीसरे के रूप में जोड़ा जा सकता है:-

"बशर्ते कि किसी भी पर्यवेक्षक या पुनर्स्थापनाकर्ता को परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा, यदि वह 10 प्रतिशत से अधिक गलतियाँ करता है।"

(3) पदोन्नति चैनल के तहत, योग्य व्यक्तियों की दो श्रेणियां हैं, मैट्रिक, पर्यवेक्षक/पुनर्स्थापना पाँच साल के अनुभव के साथ और स्नातक पर्यवेक्षक/पुनर्स्थापना दो साल के अनुभव के साथ।10 प्रतिशत कोटे के तहत उपलब्ध रिक्तियों के लिए पदोन्नति करने के लिए 6 नवंबर, 1993 को टाइप/टंकण की परीक्षा आयोजित की गई थी।याचिकाकर्ता उन 15 व्यक्तियों में शामिल थे जिन्होंने क्लर्क के रूप में पदोन्नति के लिए टाइप टेस्ट में भाग लिया था।15 व्यक्तियों में से याचिकाकर्ताओं सहित 8 योग्य हैं।याचिकाकर्ता योग्य पर्यवेक्षकों/पुनर्स्थापनाकर्ताओं के पैनल में Sr.Nos.5 से 8 तक थे।8 योग्य व्यक्तियों में से चार को पदोन्नत किया गया।पक्षकारों का यह स्वीकृत मामला है कि

बचे हुए योग्य उम्मीदवारों के लिए प्रतीक्षा सूची या चयन पैनल तैयार नहीं किया गया था।यह आरोप लगाया गया है कि कई अयोग्य व्यक्तियों को छूट देकर या टंकण परीक्षण आयोजित किए बिना या टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना पदोन्नत किया गया था।याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका के पैराग्राफ 8 और 9 में ऐसे व्यक्तियों के नाम दिए हैं।इन कथनों का विवरण इस रिट याचिका के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है।परिणाम की घोषणा के बाद और योग्य व्यक्तियों की सूची में उनके नाम अगले स्थान पर पाए जाने के बाद, याचिकाकर्ताओं ने किसी भी रिक्ति के होने पर पदोन्नति के लिए पैनल में अपने नाम रखने का अनुरोध किया।29.11.1993 और 23.12.1993 दिनांकित इन अभ्यावेदनों की प्रतियों को अनुलग्नक पी-4 और पी-5 के रूप में रिकॉर्ड में रखा गया है।उस समय याचिकाकर्ताओं को मौजूदा नियम 19 के तहत पदोन्नति के लिए विचार किया गया था। पदोन्नति चैनल के लिए एक पैनल तैयार

करने का कोई प्रावधान नहीं था, जबकि नियम 19 (2) (v) परीक्षा की तारीख से दो साल की अवधि के लिए एक पैनल/प्रतीक्षा सूची लागू रखने का प्रावधान करता है।इस याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई शिकायतों में से एक यह है कि चयन में भाग लेने के समय लागू नियम 19 भेदभावपूर्ण प्रकृति का था।तथ्य यह है कि वर्तमान याचिका में नियम 19 को चुनौती नहीं दी गई है।हालाँकि, नियम 19 को दिनांक 13.11.1995 के स्पष्टीकरण के माध्यम से एक ध्यान दें के रूप में स्पष्टीकरण जोड़कर संशोधित किया गया था।यह संशोधन 1.1.1996 पर राजपत्रित किया गया और नियम 19 (4) के तीसरे प्रावधान के बाद निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी गई:-

> "टिप्पणी (i) टाइप टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने वाले योग्य पर्यवेक्षकों/पुनर्स्थापनाकर्ताओं का एक पैनल उनके कोटे की रिक्तियों पर नियुक्ति करने के लिए रखा जाएगा।पहला पैनल ऐसी तारीख को एक प्रकार का परीक्षण आयोजित करने के बाद तैयार किया जाएगा जो माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा उचित समझा जाए और उसके बाद प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई में नियमित टंकण परीक्षा आयोजित किए जाते रहेंगे और टंकण परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वालों के नाम उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए पैनल में जोड़े जाते रहेंगे।इस प्रकार तैयार किया गया पैनल कभी भी चूक नहीं करेगा और बाद के चरण में टाइप टेस्ट पास करने वाला वरिष्ठ कर्मचारी अपने उन कनिष्ठों से आगे आजाएगा जिन्होंने पहले टाइप टेस्ट पास किया है लेकिन नियुक्ति के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।
>
> (ii) टाइप टेस्ट देने के लिए उम्मीदवार की पात्रता क्रमशः31 दिसंबर और 30 जून को निर्धारित की जाएगी।"

उपरोक्त टिप्पणी के अलावा, नियम 19 में एक और उप नियम (5) जोड़ा गया था जो इस प्रकार है:-

> "19(5)(i) क्लर्कों की सभी नियमित रिक्तियों को बारी-बारी से दो स्रोतों से भरा जाएगा अर्थात पहले दो रिक्तियों को स्रोत (1) से भरा जाएगा यानी सीधी

भर्ती के माध्यम से नियुक्ति और स्रोत (2) से अगली रिक्ति यानी पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति, उच्च न्यायालय प्रतिष्ठान के योग्य पर्यवेक्षकों/पुनर्स्थापनाकर्ताओं में से।

बशर्ते कि एक स्रोत की सभी रिक्तियों को दूसरे स्रोत से तदर्थ आधार तदर्थ नियुक्तियां करके भरा जा सकता है, जब तक कि रिक्तियों के स्रोत से उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं हो जाती है, बशर्ते कि तदर्थ आधार तदर्थ नियुक्त व्यक्ति ऐसी नियुक्ति के आधार तदर्थ वरिष्ठता का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।

((ii) क्लर्कों की वरिष्ठता का निर्धारण उस आदेश से किया जाएगा जिसमें उन्हें नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

एस. डी./- ओ. पी. गोयल, अतिरिक्त पंजीयक (प्रशासन) "

(4) उपरोक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए, पदोन्नति कोटे के तहत योग्य व्यक्तियों के एक पैनल को बिना किसी सीमा के लागू रहने की अनुमति दी गई थी और भले ही कोई वरिष्ठ व्यक्ति लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करता है, लेकिन पैनल में कनिष्ठ, जिन्होंने पहले प्रकार की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, वे क्लर्क के रूप में नियुक्ति/पदोन्नति के मामले में वरिष्ठता का दावा करने के हकदार हैं।संशोधित नियम में पात्र उम्मीदवारों की नियमित टंकण परीक्षा आयोजित करने का भी प्रावधान है।किसी कैलेंडर वर्ष की पात्रता क्रमशः 31 दिसंबर और 30 जून को निर्धारित की जानी है।संशोधन द्वारा प्रस्तुत नियम 19 के उप नियम (5) में सीधी भर्तियों और पदोन्नतियों के लिए रिक्तियों के आवर्तन का भी प्रावधान है।हालाँकि अन्य स्रोतों से उपलब्ध रिक्तियों को भरने की शक्ति भी उसमें निहित प्रतिबंधों के अधीन पेश की गई थी।कहा जाता है कि नियम 19 को वर्ष 2008 में बाद में संशोधित किया गया था और संशोधित नियम के तहत पुनर्स्थापनाकर्ताओं/पर्यवेक्षकों को टंकण की परीक्षा से छूट दी गई है।

(5) याचिकाकर्ता पूर्वव्यापी रूप से अपनी पदोन्नति का दावा कर रहे हैं जब पदोन्नति कोटा के लिए रिक्तियां 6.11.1993 को उनके टंकण परीक्षा में योग्यता र के बाद उपलब्ध हो गईं।यह याचिका निम्नलिखित पर आधार पर ली गयी-

(i) कि 1.1.1996 को अधिसूचित संशोधित नियम 19 याचिकाकर्ताओं के मामले में भी लागू होता है; और (ii) भेदभाव किया गया क्योंकि कई पुनर्स्थापनाकर्ताओं/पर्यवेक्षकों को या तो उन्हें टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट देकर या उनकी पदोन्नति के बाद ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक शर्त लागू करके पद के लिए पदोन्नत किया गया है।यह भी आरोप लगाया गया है कि वर्ष 1995 में, केवल 10 रिक्तियों को परिपत्र दिनांक 2 के माध्यम से प्रसारित किया गया था, जबकि टाइप टेस्ट में उत्तीर्ण होने वाले 19 सफल उम्मीदवारों को उसी पैनल से तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, यहां तक कि प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए दिए गए कोटे में से भी; (iii) याचिकाकर्ताओं ने आर. टी. आई. अधिनियम के प्रवर्तन के बाद आर. टी. आई. अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी को रिकॉर्ड में रखा है, जिसमें यह खुलासा किया गया है कि जब टाइप टेस्ट 6.11.1993 पर आयोजित किया गया था, तो 10 प्रतिशत पदोन्नति कोटे से चार रिक्तियां उपलब्ध थीं, जिसके लिए परीक्षा आयोजित की गई थी।यह आगे बताया गया है कि नियमों में संशोधन के बाद, पदोन्नति कोटे से संबंधित ये रिक्तियां क्लर्कों की कुल 18 रिक्तियों में से उपलब्ध थीं।

(6) उच्च न्यायालय ने अपने उत्तर में उल्लेख किया कि 31.12.1992 पर, पदोन्नति कोटे से क्लर्क के चार पद पर्यवेक्षकों/पुनर्स्थापनाकर्ताओं में से भरने के लिए उपलब्ध थे।इन चार पदों को 13.8.1993 के आदेश के माध्यम से अधिसूचित किया गया था, जिसके लिए परीक्षा 6.11.1993 पर आयोजित की गई थी।केवल चार उम्मीदवार परीक्षा उत्तीर्ण कर सके जिनमें से चार उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था।यह आगे कहा गया है कि वर्ष 1993 और 1994 के दौरान पदोन्नति कोटा के लिए केवल दो पद उपलब्ध हुए जिनके लिए परीक्षा 29.4.1995 पर आयोजित की गई थी।छह योग्य उम्मीदवारों में से दो वरिष्ठतम अधिकारियों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत किया गया था और कोई पैनल तैयार नहीं किया गया था।जहां तक संशोधन का संबंध है, यह कहा गया है कि 13/15.11.1995 को

संशोधन के बाद, 2.12.1995 को एक परीक्षा आयोजित की गई थी।19 उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की।पहली बार, टंकण परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार किया गया था।हालाँकि, 29.1.1996 के बाद, सभी अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया गया।याचिकाकर्ताओं के संबंध में, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता सं. 1, 15.2.1997 को आयोजित टंकण परीक्षा में उपस्थित हुए, लेकिन उसी में अर्हता प्राप्त नहीं कर सके।प्रतिवादीओं ने संशोधित नियम की पूर्वव्यापी प्रयोज्यता के संबंध में याचिकाकर्ताओं के तर्क पर गंभीरता से विवाद किया है।यह आगे उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता नं. 1 ने याचिकाकर्ता सं. 3 और अन्य की पदोन्नति को चुनौती देते हुए 1995 का सी. डब्ल्यू. पी. No.8296 दायर किया था। 6.11.1993 को परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के समान आधार पर दावा किया कि उन्हें टंकण परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं थी।हालाँकि, एकल न्यायाधीश ने दिनांकित 24.3.1998 निर्णय से रिट याचिका को खारिज कर दिया था।

उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि हर वर्ष योग्य उम्मीदवारों की सूची समाप्त हो जाती है और पदोन्नति के प्रत्येक सेट के अलग होने के कारण, एक उम्मीदवार को हर बार पदोन्नति की मांग करने पर प्रकार परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होती है।याचिकाकर्ता द्वारा दायर 1998 के एल. पी. ए. No.383 को भी खारिज कर दिया गया था।

(7) मैंने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता संगीता ढांडा ने तर्क दिया है कि संशोधित नियम 1995 जिसके तहत सफल उम्मीदवारों के पैनल को बिना किसी अवधि के जीवित रखने के लिए एक टिप्पणी जोड़ी गयी थी, का पूर्वव्यापी संचालन है और इस प्रकार, नियम के संशोधन पर, 6.11.1993 पर आयोजित प्रकार परीक्षण के आधार पर तैयार पैनल को परीक्षा के आयोजन के बाद उपलब्ध होने पर रिक्तियों के संबंध में जीवित रहना था।संशोधित नियम 1995 के पूर्वव्यापी प्रभाव के बारे में विवाद का समर्थन करने के लिए, उन्होंने संविधान पीठ का फैसला B.S.Vadera और अन्य बनाम भारत संघ

और अन्य (1) पर, भरोसा जताया जिसमे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियम का प्रभाव संभावित और पूर्वव्यापी दोनों रूप से होगा।पैराग्राफ 24 में प्रासंगिक टिप्पणियां दी गई हैं जो इस प्रकार हैं:-

> "24. यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 309 के परंतुक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "इस प्रकार बनाए गए किसी भी नियम का प्रभाव होगा, जो ऐसे किसी भी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगा।"संविधान में उपयोग की जाने वाली स्पष्ट और असंदिग्ध अभिव्यक्तियों को उनका पूर्ण और अप्रतिबंधित अर्थ दिया जाना चाहिए, जब तक कि किसी भी सीमा से बंधा न हो।नियम, जो "संविधान के प्रावधानों के अधीन"होने चाहिए, "ऐसे किसी भी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन"प्रभावी होंगे। अर्थात्, यदि उपयुक्त विधानमंडल ने अनुच्छेद 309 के तहत अधिनियम पारित किया है, तो परंतुक के तहत बनाए गए नियम, उस अधिनियम के अधीन, किसी भी अधिनियम की अनुपस्थिति में में, उपयुक्त विधानमंडल के प्रभावी होंगे, इस मामले पर, हमारी राय में, राष्ट्रपति द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियम, जो वह निर्देश दे सकता है, संभावित और पूर्वव्यापी दोनों रूप से पूर्ण रूप से प्रभावी होंगे।"

---

(1) 1969 एसएलआर 6

(8) ये टिप्पणियां याचिकाकर्ताओं के तर्क का समर्थन नहीं करती हैं।माननीय उच्चतम न्यायालय ने केवल यह कहा है कि अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियम पूर्वव्यापी और संभावित दोनों हो सकते हैं।माननीय सर्वोच्च न्यायालय केवल अनुच्छेद 309 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख कर रहा है।हालाँकि, संविधान पीठ द्वारा पैराग्राफ 25 में कानून की स्थिति स्पष्ट की गई है जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:-

"25. हमारे समक्ष मामले में, भारतीय रेलवे प्रतिष्ठान संहिता, राष्ट्रपति द्वारा, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुच्छेद के प्रावधान के तहत जारी की गई है।

309. नियम 157 के तहत, राष्ट्रपति ने रेलवे बोर्ड को अपने नियंत्रण में गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए नियम बनाने या सामान्य अनुप्रयोग करने का निर्देश दिया है।बोर्ड द्वारा अनुलग्नक 4 और 7 के तहत बनाए गए नियम, जो योजनाओं में सन्निहित हैं, और नियम 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों के भीतर हैं।; और किसी भी अधिनियम की अनुपस्थिति में, उक्त मामले पर "उपयुक्त"विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने पर, रेलवे बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों का पूर्ण प्रभाव होगा और यदि ऐसा संकेत दिया जाता है, तो पूर्वव्यापी भी।पूर्वव्यापी प्रभाव के बारे में ऐसा संकेत, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, विवादित प्रावधानों में स्पष्ट रूप से है।"

(9) संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियम का पूर्वव्यापी प्रभाव तभी हो सकता है जब नियम ऐसा निर्धारित करता है।वर्तमान मामले में, 1973 के नियम के नियम 194 में निहित संशोधन संशोधित प्रावधान के पूर्वव्यापी संचालन के लिए प्रावधान नहीं करता है और इस तरह के किसी भी इरादे या विशिष्ट कथन की अनुपस्थिति में में, नियम में इसे संभावित प्रकृति के रूप में माना जाना चाहिए।यह शायद कानून का तय प्रस्ताव है।याचिकाकर्ताओं ने आगे मेसर्स पंजाब ट्रेडर्स **अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य** (2) **और रेविंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य** (3), पर **यह तर्क देने के लिए** भरोसा जताया है कि प्रक्रियात्मक कानून में संशोधन पूर्वव्यापी रूप से संचालित होता है।मैसर्स पंजाब ट्रेडर्स (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष संशोधन को केवल स्पष्टीकरणात्मक पाया गया, जबकि इस न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष रेविंदर सिंह (उपर्युक्त) मामले में यह नियम में विसंगति का मामला था।

---

(2) एयर 1990 एससी 2300

(3) 1992 (2) एसएलआर 245

जिसे नियमों में संशोधन करके हटा दिया गया।इन परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संशोधन का पूर्वव्यापी संचालन होगा।यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि रेविंदर सिंह के मामले (ऊपर) में चयन प्रक्रिया चालू थी।**याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किए गए एक अन्य मामले में जतिंदर कुमार** बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (4), में इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां किसी व्यक्ति के पास अपेक्षित योग्यता है और नियमों के संशोधन से वह अपात्र हो जाता है, वहां संशोधित नियम लागू नहीं होगा।

माननीय खण्ड पीठ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मशहूर निर्णय जो वाई वी रंगियह बनाम जे श्री निवासन राओ(5) के मामले में दिया था तथा और निर्णयों पर भरोसा किया है जो कानून का सही प्रीतिबिम्ब है। इस संबंध में याचिकाकर्ताओं की दलील दो कारणों से खारिज की जा सकती है।सबसे पहले, नियम 19 (4) का संशोधन तब किया गया था जब चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी।भले ही यह तर्क के लिए माना जाता है कि संशोधन को पूर्वव्यापी माना जा सकता है, लेकिन इसे फिर से खोले जाने वाले निष्कर्षित चयन पर लागू नहीं किया जा सकता है।यह एक विसंगत स्थिति पैदा करेगा।संशोधन को केवल तभी पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है जब चयन की प्रक्रिया अभी भी जारी हो।दूसरा, पैनल को जीवित रखने के लिए पेश किया गया संशोधन केवल एक प्रक्रियात्मक नहीं है, बल्कि व्यक्ति के मूल अधिकार को भी प्रभावित करता है।अपरिवर्तित नियम के तहत, पैनल को अस्वीकार कर दिया जाता है, जिस दिन उपलब्ध रिक्तियों को भरा जाता है और किसी भी रिक्ति के लिए जो उपलब्ध हो सकती है, उसके बाद विचार के क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी उम्मीदवारों को भी विचार का अधिकार प्राप्त होता है जब तक कि नियम विशेष रूप से पैनल को जीवित नहीं रखता है।यह समान रूप से स्थापित कानून है कि किसी सरकारी/लोक सेवक के लिए पदोन्नति निहित या मौलिक अधिकार नहीं है।एक सरकारी कर्मचारी का एकमात्र अधिकार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति के लिए माना जाना है।यह अलग बात है कि अर्हता प्राप्त करने के बाद भी, याचिकाकर्ता को कथित रूप से रिक्ति के अभाव में नियुक्त नहीं किया जा सका।लेकिन यह अपने आप में भविष्य में

रिक्ति पर कब्जा करने के लिए सूचीबद्ध उम्मीदवार में निहित अधिकार नहीं बनाता है जब तक कि पैनल भविष्य के लिए कानूनी रूप से जीवित नहीं रहता है।इस संबंध में याचिकाकर्ताओं के तर्क को अस्वीकार कर दिया जाता है।

(10) सामान्य परिस्थितियों में, इस याचिका को केवल उपरोक्त आधार पर ही खारिज किया जाना चाहिए था।हालांकि, एक प्रासंगिक तथ्य है जिसने मुझे मामले के दूसरे पहलू की जांच करने के लिए राजी किया है।

---

(4) 1995 (1) आरएसजे 752

(5) 1983 (3) एससीसी 285

(11) उच्च न्यायालय द्वारा दायर उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि 31 दिसंबर, 1992 तक चार रिक्तियां उपलब्ध थीं।इन चार रिक्तियों को 6.11.1993 पर टाइप टेस्ट आयोजित करके चयन/पदोन्नति के लिए अधिसूचित किया गया था।उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर में आगे यह खुलासा किया गया है कि वर्षों 1993-94 के दौरान दो और रिक्तियां उपलब्ध हुईं।इन रिक्तियों के उपलब्ध होने की तारीख का खुलासा नहीं किया गया है।हालाँकि, याचिकाकर्ता ने आर. टी. आई. अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी की प्रति रिकॉर्ड में रखी है। आर. टी. आई. अधिनियम के तहत दी गई प्रासंगिक जानकारी इस प्रकार है:-

"...एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि वर्ष 1993 में पुनर्स्थापनाकर्ता/पर्यवेक्षक के कोटे की 10 प्रतिशत की दर से चार रिक्तियां उपलब्ध थीं, जिनके लिए पुनर्स्थापनाकर्ता/पर्यवेक्षकों के बीच टाइप टेस्ट वर्ष 1994 में आयोजित किया था। पुनर्स्थापनाकर्ता/पर्यवेक्षक के कोटे की 10 प्रतिशत की दर से दो रिक्तियां उपलब्ध थीं, जिनके लिए वे पुनर्स्थापनाकर्ता/पर्यवेक्षक के बीच टाइप टेस्ट आयोजित किया था।वर्ष 1993 में क्लर्क के किसी भी पद का विज्ञापन नहीं किया गया था।हालांकि,

वर्ष 1994 में क्लर्क के कुछ पदों का विज्ञापन दिया गया था और इसके जवाब में खुले बाजार से 32 उम्मीदवारों को क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था।वर्ष 1995 में सीधी भर्ती के साथ-साथ पुनर्स्थापनाकर्ता/पर्यवेक्षक के कोटा पदों के लिए निम्नलिखित रिक्तियां उपलब्ध थीं।

(i) 1.5.95 तक जब नियम में संशोधन किया था 41 रिक्तियों के मुकाबले 10 प्रतिशत की दर से 4 रिक्तियां।

(ii) 1.5.95 में होने वाली 18 रिक्तियों में से एक तिहाई की दर से 6 रिक्तियां

1.5.95 को क्लर्क	पुनर्स्थापनाकर्ता/पर्यवेक्षक के कोटा पद	उपलब्ध पदों के विरुद्ध।
37	4	41
12	6	18

(12) उपरोक्त जानकारी से यह प्रतीत होता है कि 31 दिसंबर, 1992 तक उपलब्ध चार रिक्तियों के अलावा, वर्ष 1993 में चार और वर्ष 1994 में दो रिक्तियां उपलब्ध थीं।टाइप टेस्ट 6.11.1993 पर आयोजित किया गया था।यदि आर. टी. आई. अधिनियम के तहत दी गई जानकारी को प्रामाणिक माना जाए, तो वर्ष 1993 में चार और रिक्तियां उपलब्ध थीं, हालांकि तारीख का उल्लेख नहीं है, लेकिन यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि सभी या कुछ रिक्तियां 6 नवंबर, 1993 से पहले उपलब्ध थी।

उस स्थिति में संभावित रूप से, चार नियुक्तियों के बाद चयन पैनल में अगले स्थान पर रहने वाले याचिकाकर्ताओं को 6.11.1993 पर टाइप टेस्ट में उनकी योग्यता के आधार पर सभी या कुछ रिक्तियों के खिलाफ नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।यह एक ऐसी परिस्थिति है जिस को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में विचार करने की आवश्यकता है।हालांकि, उच्च न्यायालय की ओर से दायर जवाब थोड़ा भ्रमित करने वाला है जिसमें यह कहा गया है कि तारीख का खुलासा किए बिना

1993-94 के दौरान दो रिक्तियां उपलब्ध थीं।परिस्थितियों की समग्रता में, इस याचिका का निपटारा निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता है:-

उच्च न्यायालय का स्थापना अनुभाग कैलेंडर वर्ष 1993 के दौरान उपलब्ध पदोन्नति कोटे से क्लर्कों की रिक्तियों का पता लगाएगा और यदि रिक्तियां 6.11.1993 को आयोजित टंकण परीक्षा के आधार पर भरी गई चार से अधिक थीं, तो याचिकाकर्ताओं को 6.11.1993 को आयोजित परीक्षा के अनुसार तैयार किए गए पैनल में उनकी योग्यता के आधार पर पैनल से पदोन्नति द्वारा भरी गई चार रिक्तियों के अलावा ऐसी रिक्तियों/रिक्तियों के लिए अनुमानित पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा।यदि याचिकाकर्ता (गण) को ऐसी किसी भी उपलब्ध रिक्ति के खिलाफ पदोन्नति का हकदार पाया जाता है, तो उन्हें उक्त तिथि से प्रभावी रूप से पदोन्नत किया गया माना जाएगा, हालांकि केवल काल्पनिक रूप से, बिना किसी आर्थिक लाभ के।हालांकि, ऐसे याचिकाकर्ताओं का वेतन आदि उन्हें पदोन्नति आदि के काल्पनिक लाभ देकर तय किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर पूरी कवायद पूरी की जानी चाहिए।

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देस्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा|

हुकम सिंह,
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)